

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2026—ज्येष्ठ 8, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मार्च 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/93//2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मई 2026

क्रमांक E Comp. No. 333115/1498/21-ब/छ.ग./2026—राज्य शासन, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. 325/II-3-1/2026/Confdl./2026, बिलासपुर दिनांक 28-04-2026 के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में, एतद्वारा, श्री द्विज सिंह सेंगर, पंचदश सिविल जज जूनियर डिवीजन, दुर्ग का त्याग पत्र दिनांक 21-04-2026 स्वीकार करते हुये उनको उक्त पद से दिनांक 27-04-2026 से कार्यमुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मई 2026

क्रमांक E Comp. No. 333115/1498/21-ब/छ.ग./2026—राज्य शासन, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. 325/II-3-1/2026/Confdl./2026, बिलासपुर दिनांक 28-04-2026 के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में, एतद्वारा, श्री प्रिय दर्शन गोस्वामी, चतुर्थ सिविल जज जूनियर डिवीजन, महासमुंद, का त्याग पत्र दिनांक 20-04-2026 स्वीकार करते हुये उनको उक्त पद से दिनांक 27-04-2026 से कार्यमुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मई 2026

क्रमांक E Comp. No. 333115/1498/21-ब/छ.ग./2026—राज्य शासन, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. 325/II-3-1/2026/Confdl./2026, बिलासपुर दिनांक 28-04-2026 के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में, एतद्वारा, कु. नंदिनी पटेल, नवम सिविल जज जूनियर डिवीजन, रायपुर का त्याग पत्र दिनांक 17-04-2026 स्वीकार करते हुये उनको उक्त पद से दिनांक 25-04-2026 से कार्यमुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मई 2026

क्रमांक E Comp. No. 333115/1498/21-ब/छ.ग./2026—राज्य शासन, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. 325/II-3-1/2026/Confdl./2026, बिलासपुर दिनांक 28-04-2026 के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में, एतद्वारा, कु. भामिनी राठी, अष्टम सिविल जज जूनियर डिवीजन, रायपुर का त्याग पत्र दिनांक 17-04-2026 स्वीकार करते हुये उनको उक्त पद से दिनांक 25-04-2026 से कार्यमुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मई 2026

क्रमांक E Comp. No. 333115/1498/21-ब/छ.ग./2026—राज्य शासन, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. 325/II-3-1/2026/Confdl./2026, बिलासपुर दिनांक 28-04-2026 के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में, एतद्वारा, श्री अर्पित गुप्ता, प्रथम सिविल जज जूनियर डिवीजन, रायपुर का त्याग पत्र दिनांक 17-04-2026 स्वीकार करते हुये उनको उक्त पद से दिनांक 25-04-2026 से कार्यमुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 अप्रैल 2026

क्रमांक 01/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कंचनपुर प.ह.नं. 05	2.950	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)	कंचनपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 22 अप्रैल 2026

प्रकरण क्रमांक 202507130500031/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	पहंदा प.ह.नं. 27	0.185	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरूद, जिला धमतरी	बुड़नी नवापारा परसवानी मगरलोड मोहदी बोरसी भोयना मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद के कार्यालय किया जा सकता है।

धमतरी, दिनांक 22 अप्रैल 2026

प्रकरण क्रमांक 202507130500033/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	भोथा प.ह.नं. 27	0.0050	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरूद, जिला धमतरी	बुढ़ेनी नवापारा परसवानी मगरलोड मोहदी बोरसी भोयना मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मोहला-मानपुर-अं. चौकी, दिनांक 27 सितम्बर 2025

क्रमांक 1242/भू-अर्जन/2025/202210300300002/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोहला-मानपुर- अं. चौकी	अं. चौकी	हालमकोड़ो प.ह.नं. 30	0.109	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	हालमकोड़ो जलाशय अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मोहला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तुलिका प्रजापति, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 9 अप्रैल 2026

प्र. क्रमांक 01/अ-82/2024-25/838.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
- (ख) तहसील-पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.945 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2955/2	0.036
2955/3	0.028
2956/1	0.093
2956/2	0.101
2956/3	0.101
2957/1	0.308
2957/2	0.081
2957/3	0.081
2958/2	0.105
2955/1	0.052
2955/5	0.097
2955/6	0.061
2932/2	0.049
2955/4	0.024
2953	0.113
2954	0.591
2932/3	0.024
योग	17
	1.945

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा उदगम स्थल का विकास एवं कुण्ड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायपुर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 7 मई 2026

प्र. क्रमांक 4065/वाचक/भू-अर्जन/2026/202504111000432/अ-82, वर्ष 2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-धरसीवा
- (ग) नगर/ग्राम-सरोरा, प.ह.नं. 89
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.5250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
337	0.5250
योग	0.5250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक क्षेत्र उरला की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 मार्च 2026

क्रमांक File No. GENS/5923/2025-Section-Scheme/Registration/Grievance/Legal—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित “अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना” के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/121/04/योजना/बीओसी/2024/164 दिनांक 08-01-2025 के कंडिका 3-C में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :—

कंडिका 3 — परिभाषाएं :—

- C. **निश्चित/निर्धारित सीट संख्या** : कुल आवेदनों को कुल स्कूलों की संख्या से भाग कर, सीटों का विभाजन किया जावेगा. (उदाहरण-100 आवेदन, 10 स्कूल-प्रत्येक स्कूल में 10 छात्र/छात्राओं का प्रवेश) के स्थान पर “**निश्चित/निर्धारित सीट संख्या** : छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रतिवर्ष विद्यार्थी द्वारा विद्यालयों के चयन के आधार पर प्रत्येक आवासीय विद्यालय के लिए सीटों का विभाजन किया जावेगा तथा प्रति वर्ष प्रत्येक विद्यालय हेतु अधिकतम सीट संख्या 20 होगी.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

गिरीश रामटेके
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2025

क्रमांक 759/दो-2-20/2020.— श्री शैलेन्द्र चौहान, तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, बजट अधिकारी.